(3) *(घ) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंको के वित्तीय, संगठनात्मक और परिचालनात्मक पुनर्गठन की कार्यनीतिक योजना सुझाना।

**राजस्व मेंअपना हिस्सा बढ़वाने के लिए राज्य सरकारों की मांग**

*291 **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्य राजस्व में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रहें हैं ,

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा ) :** (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग के किसी सुझाव पर आधारित इस प्रकार की कोई मांग नहीं है क्योकि आयो को सिफारिशें अभी तक प्रतीक्षित है, आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केवल 31 दिसम्बर 1999 तक प्रस्तुत की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बैंकों में धांधली तथा धोखाधड़ी के मामले**

*292 **श्री दिलीप सिंह जूदवे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राष्ट्रीकृत बैंकों में वर्ष 1996-97 तथा 1998-99 की अवधि के दौरान, वर्ष-वार धोखाधड़ी तथा धांधली के कितने मामलों का पता लगा है,

(ख) इस प्रकार प्रभावित हुए बैकों का बैक-वार ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) इस प्रकार के क्रियाकलापों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन) :** (क) और (ख) राष्ट्रीकृत बैकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97से 1998-99 (सित. 1998 तक) धांधली के मामलों की संख्या दर्शानें वाला ब्यौरा संलग्र विवरण में दिया गया है (नीचे देखिऐ)

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर राष्ट्रीकृत बैंकों ने धोखाधंडियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाए किएं हैं। इन उपायों में ये शामिल है:- बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजव्र बैंके द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी किया जाना, धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजव्र बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा, सहित उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए काग्र प्रणाली के बारे में परामर्श देना, परिचालन कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण और प्रमुख धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अचानक निरीक्षण,जिसमें प्रणलियों एंव प्रक्रियाओं तथा आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण शामिल है।

सभी राष्ट्रीकृत बैंकों में सतर्कता तंत्र है, जिसके प्रमुख केनद्रीय सतर्कता आयोग के परमर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारी है। यह सतर्कता तंत्र निवारक उपाय करने के लिए उत्तरदायी है ताकि बैंक अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके।

जब किसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है, तब उसकी प्रारंभिक जाचं की जाती है। उसके निष्कर्षों के आधार पर, यह निर्णय लिया जाता है कि क्या विभागीय रूप से पूरी जाचं की जाए अथवा मामले को स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। सामान्यता, दस लाख रूपए से अधिक के मामले जाचं के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौपें जातें हैं। आंतरिक जांच के बाद अथवा पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक, जहां कहीं आवश्यकत होता है, नियमित विभागीय कार्रवाई करतें हैं और धोखाधड़ीके लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों को दंड देते हैं। पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अभियोजन के लिए अदालतों में मामलें दायर करतें हैं।